



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

दिनांक 11.06.2013 को आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के तहत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एवं शासन के पत्र संख्या 281/XVIII-(2)/13-13(5)/07 दिनांक 01 मई, 2013 के क्रम में निम्न अधिकारियों को जनपद स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया जाता है जो भविष्य में आपदा की स्थिति में विभाग से सम्बन्धित सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे, आपदा प्रबन्धन हेतु विभागीय दायित्वों के प्रति उत्तरदायी व विभागीय कार्ययोजना का निर्माण/पुनर्निर्माण करेंगे।

क्र०सं०	विभाग	नोडल अधिकारी
1	पुलिस	पुलिस अधीक्षक
2	वन	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग
3	विकास	मुख्य विकास अधिकारी
4	राजस्व	प्रभारी अधिकारी/मुख्य राजस्व लेखाकार
5	स्वास्थ्य	मुख्य चिकित्साधिकारी
6	शिक्षा	मुख्य शिक्षा अधिकारी
7	परिवहन	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
8	पशुपालन	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
9	पुर्ति	जिला पुर्ति अधिकारी
10	विद्युत	अधिशासी अभियंता, पावर कॉरपोरेशन
11	लो०नि०वि०	अधीक्षण अभियन्ता, 6 वा वृत्त, लो०नि०वि०
12	सिंचाई	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी
13	जल निगम	अधिशासी अभियंता, जल निगम
14	जल संस्थान	अधिशासी अभियंता, जल संस्थान
15	वैकल्पिक ऊर्जा	परियोजना अधिकारी, (उरेडा)
16	सीमा सड़क संगठन	कमान अधिकारी, 36 बी०आर०टी०एफ०, सीमा सड़क संगठन, तेखला
17	आई०टी०बी०पी०	कमांडेण्ट, आई०टी०बी०पी०, गातली
18	राष्ट्रीय राजमार्ग	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग
19	बैंकिंग	लीड बैंक प्रबन्धक
20	दूरसंचार	उप मण्डलीय अभियन्ता, बी०एस०एन०एल०
21	कृषि	मुख्य कृषि अधिकारी
22	सूचना	जिला सूचना अधिकारी
23	पंचायत	जिला पंचायतराज अधिकारी
24	समाज कल्याण	जिला समाज कल्याण अधिकारी
25	उद्यान	जिला उद्यान अधिकारी
26	पर्यटन	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
27	शहरी विकास	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी
28	ग्रामीण अभियंत्रण	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
29	युवा कल्याण	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
30	होमगार्ड	जिला कमांडेण्ट, होमगार्ड
31	अग्निशमन	अग्निशमन अधिकारी, उत्तरकाशी
32	जल विद्युत निगम लिमिटेड	उप महाप्रबन्धक, जल विद्युत निगम।

उपरोक्त वर्णित अधिकारी आपदा प्रबन्धन हेतु विभागीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा प्रत्येक दिन प्रातः 10:00 बजे एवं सायं 4:00 बजे जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में प्रत्येक दशा में सूचना उपलब्ध कराये जाने तथा आपदा की स्थिति में जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र हेतु अपने विभाग से 01-01 नोडल कर्मचारी जिसे अपने विभाग से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी हो, को नामित कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक नोडल अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

दशा में अपने मोबाइल फोन बन्द नहीं रखेंगे एवं अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर अधीनस्थ अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना मुख्यालय/स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में संभावित आपदा के दौरान बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा करते हुये आपदा हेतु अपने विभागीय प्रतिवादन कार्य को कराना सुनिश्चित करेंगे।

(डा० आर० राजेश कुमार)
अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

कार्यालय-जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,उत्तरकाशी।

संख्या- 42/13-28 (2009-10)

दिनांक 13 जून, 2013

प्रतिलिपि-

1. समस्त विभागीय नोडल अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सचिव आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. उपजिलाधिकारी भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला।
6. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।